न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 65/2022 (GCMS No. 2022/67) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. सिरसभानसिंह पुत्र भगवानसिंह उम्र 75 साल जाति राजपूत निवासी मांची तहसील व जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी करौली।
2. तहसीलदार करौली जिला करौली।
3. ग्राम पंचायत मांची पं.सं. करौली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मांची पंचायत समिति करौली जिला करौली।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी करौली आदेश दिनांक 05.01.2022 बावत् आरक्षित करने ख.नं. 952/1 रकवा 1.0117 हैक्टे. ग्राम मांची तहसील करौली।

उपस्थितिः–

1. श्री विष्णुचन्द बंसल, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट सं. 1 व 2
3. श्री गोबिन्द चतुर्वेदी वकील रैस्पो. सं. 3

नि र्ण य

दिनांक : 23.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 05.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का मांची द्वारा आराजी ख.नं. 952/1 रकवा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

1.0117 हैक्टे. का प्रस्ताव तैयार करते समय फार्म पैरा नं. 15 में भूमि पर अतिक्रमण अपीलान्ट होना व मौका पर्चा में आवंटित भूमि सिरसभानसिंह अपीलान्ट के रकवा में आने की रिपोर्ट की है। जिसे गिरदावर व रेस्पो. सं. 2 तहसीलदार करौली की व ग्रामवासियान व अपीलान्ट की उपस्थिति में दिनांक 03.11.2021 को तैयार किया गया है। ख.नं. 952/1 रकवा 3 बीघा पर अपीलान्ट सम्वत् 2036 से सम्वत् 2078 तक काबिज काश्त है। अपीलान्ट का अतिक्रमण 40 वर्ष से अधिक समय का है जो नियमन योग्य है। अपीलान्ट की नियमन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ लम्बित है। इस तथ्य को पटवारी हल्का व गिरवदावर व रेस्पो. सं. 2 ने चैकलिस्ट बिना दिनांक के पैरा नं. 13 में छिपाया है और पैरा नं. 14 व 15 अपीलान्ट की नियमन पत्रावली लम्बित होने को भी जानबूझकर छिपाया है। अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में अपीलान्ट की नियमन पत्रावली लम्बित होने को छिपाकर जैर अपील आवंटन आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण को जरिये नोटिस तलव किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन आदेश दिनांक 05.01.2022 पूर्णतया आरवीट्रेरी है परवरिश रेस्पो. है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पो. नं. 1 आवंटन आदेश दिनांक 05.01.2022 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर व नोटिस नहीं दिया गया। जैर अपील आवंटन आदेश रेस्पो. नं. 1 द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर पारित किया है। पटवारी हल्का मांची द्वारा आराजी ख.नं. 952/1 रकवा 1.0117 हैक्टे. का प्रस्ताव तैयार करते समय फार्म पैरा नं. 15 में भूमि पर अतिक्रमण अपीलान्ट होना व मौका पर्चा में आवंटित भूमि सिरसभानसिंह अपीलान्ट के रकवा में आने की रिपोर्ट की है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट सिरसभानसिंह का कब्जा बताया है। आवंटन के वक्त उक्त आराजी खाली नहीं थी। जिसे गिरदावर व रेस्पो. सं. 2 तहसीलदार करौली की व ग्रामवासियान व अपीलान्ट की उपस्थिति में दिनांक 03.11.2021 को तैयार किया गया है। ख.नं. 952/1 रकवा 3 बीघा पर अपीलान्ट सम्वत् 2036 से सम्वत् 2078 तक काबिज काश्त है। अपीलान्ट का अतिक्रमण 40 वर्ष से अधिक समय का है जो नियमन योग्य है। इस संबंध में खसरा परिवर्तनशील पेश किये हैं। अपीलान्ट की नियमन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ लम्बित है। इस तथ्य को पटवारी हल्का व गिरवदावर व रेस्पो. सं. 2 ने चैकलिस्ट बिना दिनांक के पैरा नं. 13 में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

छिपाया है और पैरा नं. 14 व 15 अपीलान्ट की नियमन पत्रावली लम्बित होने को भी जानबूझकर छिपाया है। अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में अपीलान्ट की नियमन पत्रावली लम्बित होने को छिपाकर जैर अपील आवंटन आदेश पारित किया है। ख.नं. 952/1 में से अपीलान्ट ने 3 बीघा भूमि को काबिल काश्त जिस्मानी मेहनत कर व पैसा खर्च कर बनाया है। अपीलान्ट की नियमन पत्रावली रेस्पो. नं. 1 व 2 के यहां दिनांक 03.11.2021 से लम्बित है जिसे छिपाते हुये व अपीलान्ट को बिना सुने व नोटिस दिये रेस्पो. सं. 3 से साजकर चुनावी रंजिश से अपीलान्ट को उसके 40 वर्ष से अधिक कब्जे की भूमि से वंचित करने की वदनियती से पटवारी हल्का मांची व गिरदावर एवं रेस्पो.सं. 1 व 2 को अपने असर में लेकर आवादी विस्तार का 5 बीघा का आरक्षण विधि विरूद्ध रूप से कराया है, जबकि जिस स्थान पर आवासीय मकान बने हुये हैं उसका रकवा करीब 1 बीघा है यानि 0.2529 हैक्टे. है और वहां पर अन्य कोई आवासीय भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। लिस्ट भूमिहीन व्यक्ति गलत तैयार की गई है। अपीलान्ट गरीब कृषक है। कृषि उपज से अपना व परिवार का पालन पोषण करता है। आवंटन विधि विरूद्ध है। नगर पालिका की कार्यालय टिप्पणी से स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्र पैराफेरी में नहीं आता है। जैर अपील आवंटन की जानकारी दिनांक 11.03.2022 को रेस्पो. सं. 3 द्वारा अपीलान्ट को भूमि से आवंटन आदेश दिनांक 05.01.2022 को ग्राम पंचायत मांची को 1.0117 हैक्टे. ख. नं. 952/1 रेस्पो. नं. 1 से आवंटन करा लेने एवं अपीलान्ट को भूमि से बेदखल कराने की कहने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.03.2022 को नकल आवंटन आदेश 05.01.2022 का नकल आवेदन करने पर दिनांक 24.05.2022 को नकल आवंटन आदेश प्राप्त होने पर हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को जैर अपील आदेश की जानकारी व ज्ञान नहीं रहा है। दिनांक 05.01.2022 से 25.05.2022 तक का समय जानकारी के अपीलान्ट के अभाव में माफ (कण्डोन) किये जाने योग्य है जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। जानकारी दिनांक 24.05.2022 से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 05.01.2022 खसरा नम्बर 952/1 रकवा 1.0117 हैक्टे. ग्राम मांची तहसील करौली निरस्त किया जावे।

4. वकील रेस्पोडैन्ट संख्या 3 का दौराने बहस कथन है कि उक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन पहाड है जो काश्त करने के योग्य नहीं है। मौका पर्चा में मकान बने होने का उल्लेख है। अतः अपीलान्ट का कब्जा नहीं माना जा सकता है। ख.नं. 952/1 बडा रकवा है। केवल 1.0117 हैक्टे. आवंटित हुआ है। आवंटित जगह पर ही विशिष्ट कब्जे की रिपोर्ट नहीं है। फोटो प्रतियां पेश की हैं। उक्त क्षेत्र पैराफेरी में है। दिनांक 03.11.2021 की रिपोर्ट में पैराफेरी में होने का स्पष्ट अंकन है। अतः

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कृषि के लिए आवंटन नहीं की जा सकती है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 11.10.2001 में खातेदारी की भूमि मानते हुये पत्र लिखा है जबकि आराजी खातेदारी की भूमि नहीं है। पत्र की केवल फोटो प्रति है जो मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत को सही रूप से भूमि आवंटित की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. वकील अपीलान्ट ने जबाब में कथन किया कि गैर मुमकिन पहाड सैक्शन 16 में बाधित नहीं है। आवंटन योग्य है। पटवारी ने गलत रिपोर्ट की है। पैराफेरी का रिकार्ड नहीं लगाया है। सरपंच के खातेदारी लिखने से खातेदारी नहीं मिल जाती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

6. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 को पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.06.2022 को अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लेखित तथ्य न्यायालय के मत में संतोषजनक होने के आधार पर अपील प्रस्तुत करने के बिलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

8. अपीलाधीन आदेश द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 952/1 रकवा 3.4394 हैक्टे. किस्म गैर मुमकिन पहाड में से 1.0117 हैक्टे. की भूमि ग्राम मांची तहसीलदार करौली राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई। आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत मांची की ओर से प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी करौली को प्राप्त हुये जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम पांचना, मांची डेम में डूबने के कारण 40–50 साल से खसरा नम्बर 952/1 में बसे हुये हैं। 40–50 घरों की कुल 200 की आबादी निवासरत है। आवंटन प्रस्ताव के साथ ग्राम पंचायत मांची का प्रस्ताव, निवासरत परिवारों की सूची पेश की गई है। भूमि प्रस्ताव में तहसीलदार करौली, पटवारी हल्का की टिप्पणी के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर कुछ आबादी व मकान बने हुये हैं तथा प्रस्तावित भूमि पैराफेरी सीमा में आने का उल्लेख किया गया है। नगर परिषद करौली की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है। प्रस्ताव में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रकवे पर भी कुछ आवासीय मकान बने होना तथा कुछ भूमि खाली तलहटी के रूप में तथा पांचना बॉध की भूमि से सटी होना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उल्लेखित है। अपीलान्ट का अतिक्रमण का उल्लेख भी मौका पर्चा रिपोर्ट पर किया गया है। अपीलान्ट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष अतिक्रमित भूमि के नियमन के संबधं में प्रार्थना पत्र/कार्यवाही विचाराधीन होना बताया है। अपीलान्ट के हक में नियमन आदेश आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित नहीं किये गये हैं। खसरा संख्या 952/1 बहुत बडा रकवा है जिसमें से कुछ हिस्सा ही आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया गया है। नियमन की कार्यवाही विचाराधीन होने मात्र से ही अपीलान्ट का विवादित आराजी में अधिकार निहित नहीं होता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 952/1 रकवा 3.4394 हैक्टे. किस्म गैर मुमकिन पहाड में से 1.0117 हैक्टे. को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया गया था, जो विभागीय नियमानुसार सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई है। न्यायालय के मत में उपरोक्त तथ्यो के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्ताक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.06.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर